130

MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LTD
(A subsidiary of Oil & Natural Gas Corporation Ltd.)
HR DEPARTMENT

By Registered Post A.D.

FIRST APPELLATE AUTHORITY

UNDER SECTION 19 (1) OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Ref: Decision No. : 014/2011-12

Ref: Appeal No. : FAA/ 014/2011-12 मार्च 01, 2012

Name of the Appellant : श्री कपिल कुमार बंसल,
पुत्र श्री सतीश चन्द्र बंसल,
निवासी-78, कायस्थबाड़ा,
खुरजा, जिला- बुलन्दशहर,
मो. नं. - 9837339620

Name of the Public Authority : **Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. Kuthethoor Post, Mangalore – 575 030.**

श्री पी.ए. जोस, सीपीआईओ, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर - 575 030 के दिनांक 22 सितंबर, 2011 के जवाब / निर्णय संदर्भ सं. एमआरपीएल/एचआर/आरटीआई/74/2011-12 के प्रति, दिनांक 16 अक्तूबर, 2011 की वर्तमान अपील, श्री कपिल कुमार बंसल ने निर्दिष्ट की है जिनको इसके आगे अपीलकर्ता कहा गया है.

तथ्य:

श्री कपिल कुमार बंसल, आवेदक ने दिनांक 10 अगस्त, 2011 के आवेदन पत्र, संदर्भ सं. शून्य के जरिए नीचे उल्लिखित सूचना मांगी. सीपीआईओ द्वारा 29 अगस्त, 2011 को प्राप्त इस आवेदन पत्र के जवाब में सीपीआईओ ने 22 सितंबर, 2011 को नीचे उल्लिखित सूचना प्रदान की.
आवेदनकर्ता द्वारा भेजे गए मूल आवेदन पत्र का सारांश, सीपीआईओ द्वारा दिया गया जवाब और तदनंतर अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील यहां नीचे दोहराई गई है:

Sl. No	Query by the applicant	Reply by the CPIO	Appeal by the appellant
1	यह की फोलियो नंबर- 82165 मे जारी 100 शेयर (प्रमाण पत्र संख्या-	इस सिलसिले में, आपको सूचित किया जाता है कि हमारे	मेरे प्रश्न संख्या – 1 के उत्तर मे जनसूचना

	2160378) जो अभी तक कंपनी के पास हे, के विषय मे कहना हे की यदि कंपनी मे अंकित पते मे नया कोई बदलाव नहीं होने के बाद भी बार-बार मांगने पर भी कंपनी द्वारा नहीं भेजे जाने का कारण, सूचना देने का कष्ट करे।	रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार, शेयरधारक ने फोलियो सं. 82165 के संबंध में पहली और अंतिम मांग के प्रति कोई भुगतान नहीं किया था. चूंकि कोई भुगतान नहीं मिला था इसलिए, कंपनी ने प्रतिधारित ब्याज और शोधन को बाकी मांग मुद्रा के प्रति समायोजित किया था और द्वितीय परिवर्तन के प्रति प्रमाणपत्र सं. 2160378 के जरिए 100 शेयर जारी किए थे और रु 714/- की शेष रकम लौटाई गई थी.	आधीकारी का यह उत्तर समझ से दूर है कि शेयर प्रमाण पत्र आर0 एण्ड टी0 एजेंट के कब्जे मे है । मैंने उनसे न भेजने के कारण की सूचना मांगी थी, उनसे यह नहीं पूछा था कि वह किसके कब्जे मे है ? यदि वह आर0 एण्ड टी0 के कब्जे मे है, तो आर0 एण्ड टी0 एजेंट की नियुक्त भी कंपनी दुवारा ही होती है । शेयर धारक के दुवारा नहीं । तथा उपरोक्त शेयारों के ऊपर अभी तक कोई डिविडेंट का भुगतान भी नहीं किया गया है। यह क्रूथा भी कानूनन गलत है।
2.	यह कि जब आपके कथनानुसार उपरोक्त फोलियो मे पूर्ण भुगतान हमारे दुवारा किया जा चुका हे (सूचना दिनांक अप्रैल 04, 2011 की छायाप्रति सलंग्न -1) तो अभी तक मेरे P.C.D. के अपरिवर्तनीय भाग का भुगतान क्यों नहीं किया गया हे, जो कि मुझे 3.08.1992 (date of Allotment) से 6th, 7th, 8th, 9th and 10th वर्षा मे 5 बराबर किश्तों पर मिलना था (छायाप्रति सलंग्न-2) तथा उस राशि का शुरू से अब तक कोई ब्याज मुझे नहीं देने का कारण, सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करो ।	शेयरधारक के पते पर पंजीकृत डाक से भेजे गए शेयर प्रमाणपत्र और धनवापसी चेक, डाक प्राधिकारियों ने सुपुर्द न होने के कारण लौटाए. सुपुर्द किए बगैर लौटाया गया शेयर प्रमाणपत्र आर एण्ड टी एजेंट के कब्जे में है और रु 714/- की धन वापसी की रकम, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205(सी) का अनुसरण करते हुए निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की गई.	यह कि मेरे सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के आंतगरत पूर्व मे आपके दवारा अपने पत्र सं0-एएम आर पी एल/आर.टी. आई. 35/2010-11 दिनांक 04.04.2011 (छायाप्रति सलंग्न – 4) में उत्तर सांक्य – 3 मे मेरे प्रश्न मांगा मुद्र के प्रति मंग ड्राफ़्ट की अभिस्वीकृति के उत्तर मे आपने कहा था कि हमारे अंतरण एजेंट ने मांग मुद्रा के प्रति मांग ड्राफ़्ट की आभिस्वीकृति के उत्तर में आपने कहा

128

			था कि हमारे अंतरण एजेंट ने मांग मुद्रा की प्राप्ति कि पुष्टि की थी और उसे अधतन बनाया गया है। मांग मुद्रा मिलने पर ऊपर लिखित 100 शेयरों का शेयर प्रमाण पत्र मुजको भेजा गया था, जबकि जनसुचना अधिकारी के पत्र दिनाक 22.09.2011 में एसके विपरीत उत्तर दिया गया है, जो भ्रामक यव विधिविरुद्र है।
3.	यह कि आपके कथनानुसार 2005 के पत्र के जबाब के बारे मे यह कहना गलत हे कि 2005 मे कंपनी का Transfer Agent M.C.S. Ltd. था । वह पत्र M.C.S. Ltd. के साथ कंपनी को भेजा गया था (चायप्राति सलंग्न – 3) । कंपनी ने उस पर क्या कार्यवाही की। सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।	जहां तक ब्याज और शोधन का संबंध है, उसे, मांग मुद्रा का भुगतान न करने की वजह से रोक रखा गया और बाद में जैसे कि ऊपर बताया गया है, बाकी मांग मुद्रा के प्रति समायोजित किया गया.	यह कि मेरे प्रश्न सं० – 3 का भी कोई उत्तर जनसुचना अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है, जो भी जनसुचना अधिकार अधिनियम – 2005 का स्पस्ट उल्लाघन है। अत: महोदय से नीवादन है कि आप सभी प्रश्नो का उत्तर बिन्द्वर यम स्पसता आपने

सीपीआईओ द्वारा दिए गए जवाब में, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील की है. अपनी अपील में अपीलकर्ता ने सूचित किया है कि अपेक्षित समस्त जानकारी न होने और अपूर्ण होने के कारण जवाब संतोषजनक नहीं है. इसलिए अपीलकर्ता ने अनुरोध किया है कि इस मामले में उसे अन्य सूचना प्रदान की जाए. अपील के संबंध में सीपीआईओ के विचार/टिप्पणियां मांगी गईं.

DECISIONS:

1. रु. 714/- के चेक के साथ 100 शेयरों से संबंधित शेयर प्रमाणपत्र सं. 2160378, पंजीकृत डाक से शेयरधारक को भेजा गया. लेकिन डाक प्राधिकारियों ने उक्त डाक, सुपुर्द किए गए बगैर लौटाई. शेयर प्रमाणपत्र सं. 2160378 के लाभांश की स्थिति इस प्रकार है:

वर्ष	वारंट सं.	रकम (रु.)	टिप्पणी
2004-05	701302	100/-	अदत्त

2005-06	29894	140/-	अदत्त
2006-07	547730	80/-	अदत्त
2007-08	586625	120/-	अदत्त
2008-09	574454	120/-	अदत्त
2009-10	345234	120/-	अदत्त
2010-11	323794	120/-	अदत्त

शेयरधारक ने इन लाभांशों का दावा नहीं किया है. अगर शेयरधारक, इनका दावा न करे तो इस रकम को, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत लाभांश की घोषणा तारीख से 7 वर्ष समाप्त होने के बाद आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा.

2. आपके द्वारा पत्र दिनांक 29.12.2010 के परिच्छेद 3 में यथा उल्लिखित रु. 4,391 का ड्राफ्ट सं. 233530 न तो कंपनी को मिला है न ही इसका रेकॉर्डों में कहीं उल्लेख किया गया है. लेकिन हमारे आर एण्ड टी से प्राप्त जवाब में गलती से उल्लेख किया गया है कि भुगतान प्राप्त हुआ था.

3. आपके प्रश्न सं 3 के परिप्रेछ्य में कृपया ध्यान दें कि संबंधित अधिकारी की प्रतिकिया कि रिकॉर्ड पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है को हमारे पत्र संदर्भ संख्या एमआरपीएल/आरटीआई/35/10-11 दिनांक 30/03/2011 के मार्फत प्रस्तुत कर दिया गया है।

आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सेक्शन 8 (एक)(जे) के तहत वैयक्तिक सूचना से संबंधित है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए वांछित सूचना उपलब्ध करवाइ गयी । किन्तु भविष्य मे अगर आप कोई भी सूचना सतीश चंद्र बंसल के शेयरों अथवा लाभांश का दावा करते हुए चाहते हैं, तो कृपया शेयरधारक की मांग पेश करे।

आशा है कि इससे मांगी गई सूचना के संबंध में अपेक्षा की पूर्ति होगी.

सुशीलचंद्र
म.प्र. (मासं, प्रशासन व प्रशिक्षण)/प्रथम अपील प्राधिकारी
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
मंगलूर -575030
टेलीफोन सं. 0824 2882002

प्रतिलिपि अग्रेषित - सेवा में:

1. श्री पी.ए. जोस, सीआईओ, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर - 575030.